न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : जितेन्द्र कुमार पाण्डे आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 102 / 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 116

प्रार्थी :		अप्रार्थीगण :
विकास अधिकारी पंचायत समिति,बाली	बनाम	1. ग्राम पंचायत सेसली 2. बाबुलाल पुत्र भूराराम जाति चौधरी निवासी सेसली ग्राम पंचायत सेसली तहसील बाली जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994 के तहत विरुद्ध ग्राम पंचायत सेसली द्वारा मिसल संख्या 35 / 2018–19, संकल्प संख्या 05 दिनांक 21.12 2019 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी बाबुलाल पुत्र भूराराम जाति चौधरी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 66 दिनांक 30.09.2019 के विरुद्ध पेश की गई।

–:निर्णय:–

उपस्थिति :– प्रार्थी व अप्रार्थीगण अनुपस्थित

दिनांक: 09.05.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है- विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली द्वारा एक निगरानी अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या 2 को सरपंच ग्राम पंचायत सेसली के पद पर रहते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157(1) के अंतर्गत पट्टा संख्या 66 दिनांक 30 सितंबर 2019 को जारी किया गया जिसमे निम्न अनियमितता बरती गई है -प्रार्थी संख्या एक ने अप्रार्थी संख्या दो को जो पट्टा जारी किया गया है वह निरस्त योग्य है क्योंकि ग्राम पंचायत द्वारा जारी उक्त पट्टा खातेदारी भूमि खसरा संख्या 377 किस्म चाही प्रथम में जारी किया गया है अतः पट्टा निरस्त योग्य है। निगरानी प्रार्थना पत्र के साथ सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 24 जून 2022 की प्रति एवं तहसीलदार बाली द्वारा जिला कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2022 की प्रति संलग्न की गई।

प्रस्तुत निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी गण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस तामील होने के बावजूद अप्रार्थी संख्या एक एवं अप्रार्थी संख्या दो अनुपस्थित रहने पर एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया पट्टा खातेदारी भूमि खसरा संख्या 377 किस्म चाही प्रथम में जारी किया गया है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार से परे है।

अतः प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत सेसली द्वारा जारी किया गया पट्टा संख्या 66 दिनांक 30.9.2019 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। पालना हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति बाली को लिखा जावे। रिकॉर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनाक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फेशल शुमार की जाकर नंबर से कम हो ।

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
R.A.S
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली, जिला पाली